What is a non-profit company ?

‘‘ना-मुनाफा’’ कंपनी क्या है ?

इंडियन कंपनी अॅक्ट के सेक्शन २५ की कक्षा में व्यापार, कला, विज्ञान, धर्म और धार्मिक सेवा कार्य या और किसी भी समाज उपयोगी हेतू को बढावा देने के लिये ‘‘कंपनी’’ का निर्माण किया जा सकता है । ऐसी कंपनी का मुनाफा सिर्फ कंपनी के उद्देश्य में जो कार्य स्पष्ट किये गये है उनके लिये किया जा सकता है । ऐसी कपंनी को मुनाफा बाटने की इजाजत/मंजूरी नहीं है ।

सेक्शन २५ के तहत निर्माण हुई किसी भी कंपनी के व्यवहार में ‘‘मुनाफा’’ यह शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते । कंपनी के नाम के आगे या पिछे ‘‘लिमिटेड’’ या ‘‘प्रायव्हेट लिमिटेड’’ ऐसा नहीं लिख सकते ।

अगर आपको सेवाकार्य करनेवाली संस्था का सेक्शन २५ के तहत पंजीकरण करना हो तो आपको निजी कंपनी या सार्वजनिक कंपनी का निर्माण करना होगा और बाद में सेक्शन २५ के तहत स्पेशल लायसेन्स के लिये अर्जी देनी होगी । आपको ऐसा घोषित करन होगा की कंपनी की कमाई आप सभासदों में बाटेंगे नहीं ताकि उसका फिर से कंपनी के उद्दिष्टों के लिये उपयोग करेंगे । आज के जमान में ‘‘मॅजिक बस’’ जैसी संस्थाऐं सेक्शन २५ के तहत पंजीकरण करना पसंद करती दिखाई देती है ।